भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1788
उत्तर दिनांक 29/07/2026 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं

1788. श्री तारिक अनवर

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2023-24 से देश में प्रचालनात्मक और निर्माणाधीन परमाणु विद्युत परियोजनाओं की प्रगति, संस्थापित क्षमता में वृद्धि और निर्धारित समय-सीमा के अनुपालन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी, घरेलू विनिर्माण, परमाणु ईंधन की उपलब्धता और परमाणु विद्युत उत्पादन में सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का आकलन किया है और यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष और उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार देश में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता का विस्तार करने, निजी उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किसी नई नीति या अतिरिक्त पहल पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) क्रियान्वयनाधीन नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की निर्धारित समय सीमा का अनुपालन हो सके, इस प्रयास में विभिन्न स्तरों पर लगातार समीक्षा की जाती है। वर्ष 2023-24 में दस रिएक्टर निर्माण/कमीशनन अधीन थे। इनमें से कुल 2100 मेगावाट की क्षमता वाले तीन रिएक्टरों ने वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया है। विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

राज्य	**स्थान**	**परियोजना**	**क्षमता (मेगावाट)**
गुजरात	काकरापार	केएपीपी-3 व 4	2 X 700
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीपी-7	1 X 700

वर्ष 2023-24 से, दो और इकाइयों - कैगा-5 व 6 (2 x 700 मेगावाट) का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस प्रकार, वर्तमान में 8000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले दस रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

राज्य	स्थान	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीपी-8	1 X 700
तमिलनाडु	कुडनकुलम	केकेएनपीपी-3 व 4	2 X 1000
		केकेएनपीपी-5 व 6	2 X 1000
	कल्पाक्कम	एफबीआर-1	1 X 500
कर्नाटक	कैगा	कैगा-5 व 6	2 X 700
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी-1 व 2	2 X 700

(ख) व (ग) वर्ष 2025 में शांति अधिनियम के अधिनियमन से ऊर्जा क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों सहित नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में संस्थाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी।

*****